


05.02.25

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी या गार्थी वृंघ  
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। अतः गार्थी का यह पार्थीय  
अदम वेरवी - अदम टाजिरी में डी स्टर पर  
खायिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब  
तकमील होकर दायजिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(दीपक चन्दन)  
R.A.S.